फर्द अहकाम

नाथूलाल बनाम नर्मदा देवी व अन्य

उप खण्ड अधिकारी

48/2020 2020/00133

आज्ञा या आही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कार्य [illegible] किये जाने के कारण न्यायिक [illegible] की जा सकी। पी०ओ० [illegible] व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पुनर्विचार दिनांक 05/12/23 को पेश हो।	
5/12/23	पत्रावली [illegible] साहब [illegible] कार्य में [illegible] द्वारा [illegible] करने के [illegible] की जा सकी [illegible] दिनांक 9/1/24 को प्रस्तुत हो।	
9/1/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुनर्विचार दिनांक 12/2/24 को पेश हो।	
2/2/24	पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्ति तक बार बार आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रही अतः वाद वादी अदम पैरवी अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो बाद नकल के आदिल रवाना हो।	

उप खण्ड अधिकारी
करौली (द्वितीय)

2022, 07:22